तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12/06/2024 को पेश हो।	
12/6/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया की मेरी खातेदारी भूमि ख०स० 980/169 व 982/971 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5120 हैक्टेयर भूमि ग्राम पेच की बावडी में स्थित है, जिस पर आने जाने हेतु ख०स० 165 राजकीय सिवायचक में से 9.15 मीटर चौडा व 6.3 मीटर लम्बा रास्ता है, जो रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थीया उक्त रास्ते को घोषित करवाकर रिकॉर्ड मे दर्ज करवाना चाहती है। रास्ते मे आने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने को प्रार्थीया तैयार है। प्रा०पत्र स्वीकार कर रास्ते की घोषणा की जावे। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली से जांच रिपोर्ट प्राप्त है, मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थीयाँ को उसकी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु ख०स० 165 रकबा 0.1457 हैक्टेयर मे से 0.0055 हैक्टेयर भूमि 20 फीट लम्बाई व 30 फीट चौडाई मे आयेगी। प्रार्थीयाँ को अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीयाँ को चाहे रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं चाहा गया रास्ता लघुतम है। प्रार्थीयाँ द्वारा चाहा गया रास्ता उसकी आत्यंतिक आवश्यकता होने, निकटवर्ती व सुगम, लघुतम रास्ता होने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होने से प्र०पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीयों स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयों की खातेदारी भूमि ख०न० 180/169 व 182/171 ग्राम पेच की बावडी में आने जाने हेतु ख०न० 165 रकबा 0.1457 हैक्टेयर सिवायचक मे से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फीट लम्बा व 30 फीट चौडा कुल रकबा 0.0055 हैक्टेयर ग्राम पेच की बावडी प०म० पेच की बावडी मे घोषित किया जाता है। घोषित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम कर गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। प्रस्तावित रास्ते मे आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि (NH-52 से 0 से 100 मीटर तक) 5711185/-रु प्रति हैक्टेयर से 0.0055 हैक्टेयर भूमि की कीमत 31415 रूपये व इसकी दुगुनी राशि 62830/-रु (T.R.A. गणनानुसार) नियमानुसार सम्ब० राजकीय मद मे जमा करवाई जावें। राशि जमा का चालान पेश करने पर निर्णय की पालना हेतु T.D.R. हिण्डोली को पत्र जारी किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	